रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 25, 1980/माघ 5, 1901
No. 20] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 25, 1980/MAGHA 5, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० : 2-आईटीसी (पी एन)/80

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1980

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय : 1979-80 के लिए जापान अनुदान सहायता के अंतर्गत जापान से इस्पात मदों और भारत के पत्तनों पर उनके यातायात के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आयात लाइसेंस जारी करने के लिए नियम तथा शर्तें ।

मिसिल सं० आई० पी०सी०/39/18/78.—1979-80 के लिए 1.5 अरब येन की जापान अनुदान सहायता के अंतर्गत जापान इस्पात ने मदों और भारत के पत्तनों पर उनके यातायात के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आयात लाइसेंस जारी करने के लिए जो नियम और शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, वे सूचनार्थ अधिसूचित की जाती है ।

सी० वेंकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० : 2-आईटीसी (पीएन)/80 दिनांक 25-1-1980 के लिए परिशिष्ट

1979-80 के लिए 1.5 अरब येन की जापान अनुदान सहायता के अंतर्गत जापान से इस्पात मदों के आयात के लिए और उनके भारत के पत्तनों पर ले जाने के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए शर्तें ।

खंड-1—सामान्य शर्तें :

1(1) 1979-80 के लिए 1.5 अरब येन (लागत बीमा भाड़ा) अनुदान सहायता स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि० द्वारा इस्पात मदें प्रायोत करने के लिए और भारत के पत्तनों तक पहुंचाने के लिए यातायात के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए जापानी संभरकों को भुगतान में वित्तीय सहायता प्रदान के लिए इस अनुदान का उपयोग किया गया है ।

1(2) आयात लाइसेंस स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि० के नाम में कुल 1.5 अरब येन (लागत-बीमा-भाड़ा) की धनराशि तक जारी होने चाहिएं और उन पर 1979-80 के लिए 1.5 अरब येन "जापान अनुदान सहायता" लिखा होना चाहिए । पहले और दूसरे प्रत्यय के लिए लाइसेंस कोड "एस/जे एन" होगा ।

1(3) बैंक खर्चों को छोड़कर, बैंक आफ इंडिया, टोक्यो को आयात लाइसेंस के मद्दे विदेशी मुद्रा का कोई भी प्रेषण जो कि सामान्य प्रक्रिया प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, प्रेषण करने की अनुमति नहीं होगी, भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति भुगतान, यदि कोई हो तो, भारत में अभिकर्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए । लेकिन ऐसा भुगतान लाइसेंस के मूल्य का एक भाग होगा और इसलिए लाइसेंस के लिए किया जाएगा ।

1(4) इस अनुदान सहायता के अंतर्गत इस्पात मदें केवल जापान से ही अधिप्राप्त की जानी चाहिएं ।

1(5) आयात लाइसेंस प्रारम्भिक वैधता 15-3-1980 तक लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर जारी किए जाएंगे । यदि लाइसेंसधारी को और अवधि वृद्धि की आवश्यकता हो तो आयात लाइसेंस की वैधता अवधि में वृद्धि की मांग करते समय लाइसेंस-धारी को इस औचित्य और स्पष्टता के साथ मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को प्रस्ताव भेजना चाहिए कि प्रारम्भिक वैधता अवधि के दौरान लदान एवं भुगतान पूर्ण क्यों नहीं हो सके । मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को ऐसे अनुरोधों को बिना किसी परिवर्तन के अवर सचिव (टी०सी०), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली के विचारार्थ भेजना चाहिए ।

1(6) संविदा में नकद आधार पर अर्थात् भारतीय बैंक, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए । इसमें निम्नलिखित रूप में माल छुड़ाई की अवधि की भी व्यवस्था होनी चाहिए—"15-3-1980 तक माल छुड़ाने का काम पूरा किया जाना है"।

1(7) संविदा का मूल्य (केवल लागत और भाड़ा) के आधार पर येन में अभिव्यक्त होना चाहिए (येन का अंश छोड़ देना चाहिए) और यदि कोई हो तो उसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन नहीं शामिल होना चाहिए । किसी भी परिस्थिति में संविदा का मूल्य किसी अन्य मुद्रा में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए । जहाज-पर्यन्त निःशुल्क लागत, बीमा और भाड़ा की धनराशि को अलग से दिखायी जानी चाहिए, किन्तु संविदा में स्वयं ही यह स्पष्ट होना चाहिए कि भाड़े का भुगतान वास्तविक आधार पर किया जाएगा अथवा उसमें दर्शाया गया भाड़े का खर्च वास्तविक खर्च के अतिरिक्त होगा ।

1(8) क्रय संविदा में केवल जापानी राष्ट्रिकों अथवा जापानी क्षेत्राधिकार के व्यक्ति भाग ले सकते हैं उसका नियंत्रण भी जापानी राष्ट्रिकों द्वारा होना चाहिए । प्रत्येक संविदा के साथ संभरक की पात्रता को दर्शाने वाला एक प्रमाणपत्र (दो प्रतियों में) भी संलग्न होना चाहिए ।

खंड-2—संभरण संविदा में निम्नलिखित शर्तें विशिष्ट रूप से शामिल होनी चाहिएं :

2(1) 1979-80 के लिए 1.5 अरब येन की अनुदान सहायता संबंधित संविदा 5 नवम्बर, 1979 के समझौते के अनुसार भारत और जापान की सरकार के बीच व्यवस्थित की गई है और यह दोनों सरकार के अनुमोदन से होगी ।

2(2) संभरक को भुगतान चुकाने के लिए प्राधिकार "(ए/पी)" के माध्यम से होगा जो 1979-80 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत बैंक आफ इंडिया, टोकियो के नाम में सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक वित्त-मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किया जाएगा ।

2(3) जापानी संभरक ऐसी जानकारी और दस्तावेज भेजने के लिए सहमत होता हो जो एक ओर भारत सरकार और दूसरी ओर जापानी सरकार द्वारा अपेक्षित हों ।

2(4) जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श से लदान प्रबंध करने के लिए सहमत हो और यह कि संभरक इस प्रयोजन के लिए भारतीय दूतावास, टोकियो को माल के वितरण से संबंधित जानकारी देगा और भारतीय दूतावास को अपेक्षित लदान के विषय में कम से कम चार सप्ताह पूर्व अधिसूचित कर देगा जिससे कि उपयुक्त प्रबंध किए जाएंगे । विशिष्ट मामलों में जहां आयातक आवश्यक समझे, सूचना की यह अवधि कम की जा सकती है । जापानी संभरक को प्रत्येक लदान के पश्चात् आयातक को तार से सूचना देने के लिए सहमत होना चाहिए और आवश्यक ब्यौरे और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजनी चाहिए ।

खंड-3—भारत और जापान की सरकारों द्वारा संविदा का अनुमोदन :

3(1) जैसे ही आदेश को अंतिम रूप दे दिया जाए आयातक को चाहिए कि वह दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा की 4 प्रतियां अथवा जापानी संभरक द्वारा लिखित पुष्टि आदेश से समर्थित जापानी संभारक को सम्मुख भारतीय आयातक द्वारा प्रस्तुत क्रय आदेश अथवा सभी तरह से पूर्ण उनकी फोटो प्रतियां और उनके साथ सम्बद्ध वैध आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियां तथा अनुबंध-1 के रूप में "(ए/पी) जारी करने के लिए अनुरोध" की दो प्रतियां अवर सचिव (टी०ए०), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजें । उपर्युक्त क्रियाविधि सभी संविदा संशोधनों में भी लागू होगी जिससे संविदा की विषय सूची और इसके मूल्य में आवश्यक संशोधन होंगे ।

3(2) वित्त मंत्रालय (डी०ई०ए०) टी०सी०एम० अनुभाग, 1979-80 के लिए 1.5 अरब येन की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत वितरण के लिए उनकी अनुमति के लिए जापान की सरकार को संविदा की दो प्रतियां भेजने का प्रबंध करेगा और साथ ही साथ उपर्युक्त (1) में दिए गए दस्तावेजों का एक सेट भी सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक को भेजा जाएगा ।

3(3) जापान की सरकार से संविदा का अनुमोदन प्राप्त होने पर आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक को टो०ओ० डिवीजन सहायता लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को उसकी सूचना देगा जो जापानी संभरक को भुगतान करने के लिए अनुबंध-2 के प्रपत्र में बैंक आफ इंडिया, टोकियो को (ए/पी) "भुगतान करने का प्राधिकार" जारी करेगा । ए/पी की प्रतियां भारतीय दूतावास, टोकियो आयातक, भारत में आयातक के बैंक और टी०सी०एम० अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएंगी ।

3(4) (ए/पी) के भुगतान का प्राधिकार प्राप्त होने पर बैंक आफ इंडिया, टोकियो जापान सरकार, भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक, को सूचना देते हुए जापानी संभरक को इस प्राप्ति के तथ्य की सूचना देगा ।

3(5) जापानी संभरक लदान के पश्चात् अपने बैंकर के माध्यम से ए/पी में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो संभरक को दस्तावेज में विनिर्दिष्ट राशि रिहा करेगा ।

3(6) जापानी संभरक के लिए भुगतान की व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को वेष बैंक प्रभार भारत में आयातक के संबंधित बैंक द्वारा तय किए जाएंगे, यह भारतीय सरकार के लेखों को प्रभावी किए बिना सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रेषण द्वारा भेजे जाएंगे ।

खंड-4—रुपया जमा करने के लिए उत्तरदायित्व :

4(1) मूल परक्राम्य लदान दस्तावेज निरपवाद रूप से बैंक आफ इंडिया टोकियो द्वारा आयातक से संबंधित भारतीय बैंक, जो भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा होगी, जैसा कि अनुबंध-1 में (ओ) में दिया गया है, को अग्रेषित किए जाएंगे, जो संबंधित आयातक को इन दस्तावेजों का परक्राम्य सैट केवल यह सुनिश्चय करने पर रिहा करेगा कि जापानी संभरक द्वारा बैंक आफ इंडिया, टोकियो से किए गए भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा कराने की तिथि तक पहले तीस दिनों के लिए 9% ब्याज की वार्षिक दर और अधिक समय के लिए 15% ब्याज की वार्षिक दर पर परिगणित ब्याज प्रभारों के साथ जापानी संभरक को दिए गए येन भुगतान के रुपए के बराबर रुपया सार्वजनिक सूचना सं० 46-आई०टी०सी० (पी एन)/76, दिनांक 16-6-76 के अनुसार भारत सरकार के लेखे में जमा किया गया है । दोनों दिनों अर्थात् जिस दिन जापानी संभरक को भुगतान किया गया है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया गया है, के ब्याज का भुगतान किया जाएगा। सार्वजनिक सूचना सं० 103-आई०टी०सी०(पी एन)/76, दिनांक 12-10-1976 के अंतर्गत आशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई०टी०सी० (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 देखिए । येन भुगतान के समतुल्य रुपये की गणना के लिए अपनाई गयी मुद्रा विनिमय दर मुद्रा विनिमय की प्रचलित मिश्रित दर होगी जैसा कि मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं० 8-आई०टी०सी०(पी एन)/76, दिनांक 17-1-1976 में दर्शाया गया है अथवा जो समय-समय पर सरकार द्वारा मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं अथवा भारतीय रिजर्व

बैंक के मुद्रा-विनिमय परिपत्रों के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है। इस संबंध में और ब्याज की दर के संबंध में जैसे ही और जब भी किसी परिवर्तन की आवश्यकता होगी अधिसूचित किया जाएगा। संबद्ध भारतीय बैंक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चय करे कि आयात संबंधी दस्तावेज आयातकों को सौंपने से पहले देय राशि सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा करा दी गई है। आयातक को भी यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने से पहले देय राशि सरकारी लेखे में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। लेखा शीर्ष जिसमें उपर्युक्त राशि जमा करना चाहिए वह "के-डिपोजिट एंड एडवांसिज-843-सिविल डिपोजिट फार परचेजिज एटसट्रा, एग्रोड अंडर ग्रांट ऐड फोम दि गवर्नमेंट आफ जापान" फार 1979-80 ग्रांट फार परचेज आफ इस्पात मदें है।

4(2) ऊपर बताई गई धनराशि नकद में सरकार के खाते में भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली अथवा भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में जमा करानी चाहिए अथवा यदि यह सम्भव न हो तो भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसकी सहायक शाखाओं अथवा किसी एक राष्ट्रीयकृत बैंक (ड्रावर) से प्राप्त डिमान्ड ड्राफ्ट जो सरकार के लेखे में जमा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक तीस हजारी ब्रांच दिल्ली-6 (ड्रायी एन्ड पेई) के नाम में हों, के माध्यम से परेषित की जानी चाहिए। जैसा कि सार्वजनिक सूचना सं० 184 दि० 30-8-1968, सं० 233-आई०टी०सी० (पी०एन०)/68 दिनांक 24-10-1968 और सं० 132 आई० टी०सी० (पी०एन०)/71 दिनांक 5-10-1971 सं० 74-आई०टी०सी० (पी०एन०)/74 दिनांक 31-5-1974 और संख्या 103-आई०टी०सी० (पी०एन०)/76 दिनांक 12-12-76 में बताया गया है।

4(3) भारत में सम्बद्ध बैंक भी ऊपर बताए गए तरीके से ऐसी अतिरिक्त धनराशि भेजेगा जिसके लिए भारत सरकार सेवा प्रभार के निमित्त ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर अनुरोध करें। चालान में विभिन्न कालम भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को यह सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 103-आई० टी०सी० (पी०एन०)/76 दिनांक 12-10-76 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 132-आई०टी०सी० (पी०एन०)/71 दिनांक 5-10-71 और सार्वजनिक सूचना सं० 74-आई०टी०सी० (पी०एन०)/74 दिनांक 31-5-1974 के पैरा 2 में निर्धारित जानकारी परेषण के चालान में "पूर्ण ब्यौरे और प्राधिकारी (यदि कोई हो तो)" कालम में अपरिवर्तनीय रूप से दर्शाए गए हैं। निम्नलिखित ब्यौरे खजाना चालान में अपरिवर्तनीय रूप से भेजे जाने चाहिएं :—

(क) वित्त मंत्रालय 'ए/पी' (भुगतान करने का प्राधिकार) सं० और दिनांक;

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके सम्बन्ध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निर्णय किए जाते हैं;

(ग) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिथि;

(घ) चुकाए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए यह गिना गया है;

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि

(ब्याज की गणना जापानी संभरक को भुगतान की तिथि से सरकारी लेखे में समतुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए की जानी है)।

उसके पश्चात् सी०ए०ए०ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी०ए०ए०ए० को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी :—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि रुपए का निक्षेप बैंक ऑफ इंडिया टोकियो से अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पोत लदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी०ए०ए० एवं ए० वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

4(4) भारत में सम्बद्ध बैंक ऑफ इंडिया को लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बम्बई को भेजना चाहिए।

खण्ड 5: विविध शर्तें

5(1) अनुदान सहायता के उपभोग पर रिपोर्ट :—भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के बाद आयातक को पोत और उनके अधीन किए गए भुगतानों के सम्बन्ध में और जो पोतलदान होने बाकी हैं उनके विषय में एक मासिक रिपोर्ट सी०ए०ए०ए०, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यम०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

5(2) संभरकों को विशेष शर्तें अधिसूचित करना:—आयातक को चाहिए कि वे इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत इस्पात मदों के आयात के लिए उन विशेष शर्तों से संभरक को अवगत करावें जो समझौते का पालन करने में संभरकों पर प्रभाव डाल सकती हैं।

5(3) विवाद :—यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच यदि कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। विवादों से निपटने की शर्तें ठेके की शर्तों में शामिल होनी चाहिए।

5(4) भविष्य अनुदेश :—आयात लाइसेंस या उसके सम्बन्ध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से सम्बन्धित या 1979-80 के लिए जापान से अनुदान सहायता के अन्तर्गत सभी आभारों को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का आयातक को तुरन्त पालन करना चाहिए।

5(5) अतिक्रमण या उल्लंघन :—उपर्युक्त खण्डों में स्थिर की गई शर्तों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर आयात-निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

5(6) अनुबन्धों की सूची :—अनुबन्ध-1 ए०/पी० जारी करने के लिए अनुरोध अनुबन्ध-2 ए०/पी० का प्रपत्र

अनुबन्ध-1

भुगतान प्राधिकारपत्र जारी करने के लिये प्रार्थनापत्र

सं० दिनांक

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

विषय :—1979-80 के लिए जापान अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान, से इस्पात मदों का आयात तथा भारत के पत्तनों पर उनके यातायात के लिए आवश्यक सेवाएं।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अन्तर्गत जापान से इस्पात को मदों के आयात के सम्बन्ध में सम्बद्ध जापानी संभरक के नाम में बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को भुगतान, प्राधिकार-पत्र जारी करने के लिए हम निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता;

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है;

(ग) प्राप्ति के तरीके—क्या यह सीधे क्रय या औपचारिक खुल

अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित हैं। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है ।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण;

(ङ) माल का उद्गम क्षेत्र;

(च) संविदा का कुल लागत-बीमा भाड़ा मूल्य (येन में);

(छ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपए में भुगतान की जाने वाली भारतीय एजेन्ट कमीशन की धनराशि;

(ज) कुल लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान प्राधिकारपत्र की आवश्यकता है ;

(झ) जापानी संभरकों के साथ संविदा का नाम एवं दिनांक;

(ञ) जापानी संभरक का नाम और पता और एक पात्रता प्रमाण-पत्र (दो प्रतियों में) संलग्न करें;

(ट) वे भुगतान शर्तें और सम्भावित तिथि जिनको संविदा के अन्तर्गत भुगतान देय होंगे;

(ठ) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि;

(ड) बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को भुगतान के समय दिए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेटों की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए);

(ढ) पोतलदान अनुदेश (वाहनान्तरण/पार्टशिपमेन्ट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए);

(ण) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता ।

भवदीय,

अनुबन्ध-2

सं० एफ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक——————

सेवा में,

बैंक ऑफ इण्डिया,

टोकियो शाखा,

टोकियो (जापान)

विषय :—1.5 अरब येन के लिए जापान अनुदान सहायता के अन्तर्गत इस्पात की मदों के आयात के लिए भुगतान प्राधिकार-पत्र जारी करना ।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 18-8-1979 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्द्वारा सर्वश्री—————————— (परिशिष्ट में दिए गए विवरणों के अनुसार) के नाम में———————————येन से अधिक नहीं धनराशि का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

2. कृपया संभरक को इस भुगतान प्राधिकार-पत्र की रसीद के सम्बन्ध में सलाह और जापान सरकार, आयातक के बैंक, टोकियो में भारतीय दूतावास और इस मंत्रालय को इस सलाह की एक प्रति प्रत्येक को प्रेषित की जाए ।

3. (ए/पी०) के अनुसार संभरकों को भुगतान परिशिष्ट में यथा निर्दिष्ट पोतलदान दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा ।

4. आयातक द्वारा आपको भुगतान योग्य दस्तावेज और समुद्रपार संभरकों, बैंकर के खर्चे रखने या खर्चे यदि कोई हो तो उसके साथ अन्य बैंक खर्चे भी आयातक बैंक द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

5. जापानी संभरक द्वारा प्रस्तुत पोतलदान दस्तावेजों के आधार पर जब भी आपने कोई भुगतान किया है तो इसकी सूचना इस मंत्रालय और आयातक के बैंक को निर्धारित प्रपत्र में भेजनी चाहिए ।

6. इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना ए/पी में बाद के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा ।

7. यह भुगतान प्राधिकार पत्र——————————तक वैध रहेगा ।

भवदीय,

लेखाधिकारी।

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक·························को उनके पत्र संख्या ·····················दिनांक·········के संदर्भ में ।

2. आयातक का बैंक·····················उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर संभरकों को येन के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था करें । संभरकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्वजनिक सूचना सं० 8-आई०टी०सी०(पी०एन)/76 दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी । संभरक को भुगतान करने की तिथि से सरकार के लेखे में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं० 46-आई०टी०सी० (पी०एन)/76 दिनांक 16-6-76 के अनुसार पहले 30 दिनों के लिए 9% वार्षिक दर पर और इससे अधिक की गणना की गई अवधि के लिए 15% की दर से ब्याज भी सरकारी लेखे में जमा करना होगा । ब्याज दोनों दिनों के लिए दिया जाना है अर्थात् वह तिथि जिसको संभरक को भुगतान किया जाता है और वह तिथि भी जिसको सरकारी लेखे में रुपया निक्षेप किया जाता है । इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसको सूचना दी जाएगी । यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक को सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है ।

3. ये धनराशियां या तो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी शाखा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली-6 (आदेशित और आदाता) के नाम में और उनको देय दर्शनी हुण्डी के माध्यम से करनी चाहिए । इस संबंध में आपका ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या 233-आई०टी०सी० (पी०एन०)/68 दिनांक 24-10-1968, संख्या 132-आई०टी०सी०(पी०एन०)/71, दिनांक 5-10-1971 संख्या 74-आई०टी०सी० (पी०एन०)/74 दिनांक 31-5-74 और संख्या 103-आई०टी०सी०(पी० एन०)/76 दिनांक 12-10-76 की शर्तों की ओर दिलाया जाता है । लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपाजिट्स एन्ड एडवांसिज-843 सिविल डिपाजिट्स फार परचेजिस एटसेट्रा एब्राड परचेजिस अन्डर ग्राट ऐड फार 1979-80 अन्डर डिटेल्ड हेड" येन 1.5 बिलियन ग्रान्ट ऐड फार परचेजिस ऑफ स्टील आइटम्स ।

जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना सं०-132-आई० टी०सी०(पी०एन०)/71, दिनांक 5-10-71 के अनुसार नकद जमा किया जाता है कि उनमें चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक ऑफ

इण्डिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रेषण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग),

पहली मंजिल, यू०सी०ओ० बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली ।

जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामले में ब्याज की चुकाई गई धनराशि और जिस अवधि के लिए ब्याज की गणना की गई है उसके साथ जमा किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए ।

समुद्रपार संभरक के बैंकर के खर्चों सहित यदि कोई हो, तो, बैंकिंग के अन्य खर्चे और बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो ब्रांच के अन्य खर्चे इण्डियन बैंक और बैंक ऑफ इण्डिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे ।

4. भारतीय दूतावास, टोकियो ।

5. अवर सचिव (टी०ए०) शाखा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ।

लेखाधिकारी ।

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 2-ITC(PN)/80

New Delhi, the 25th January, 1980

Subject.—Terms and conditions governing the issuance of import licences for import of steel items and services necessary for the transportation thereof to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid for 1979-80.

File No. IPC/39/18/78.—The terms and conditions governing the issuance of import licences for import of steel items and services necessary for the transportation thereof to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid for 1979-80 of Yen 1.5 billion as given in Appendix to this Public Notice are notified for information.

C. VENKATARAMAN,

Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX TO DEPARTMENT OF COMMERCE PUBLIC NOTICE NO. 2-ITC(PN)/80

Dated, the 25th January, 1980

Conditions for import of Steel items & services necessary for the transportation thereof to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid for 1979-80 of Yen 1.5 billion.

Section I.—General Conditions :—

I(i) The Japanese Grant Aid for 1979-80 of yen 1.5 billion (CIF) is intended to be used for financing payments to Japanese Suppliers for import of steel items and services necessary for the transportation of these items to ports in India by the Steel Authority of India Ltd.

I(ii) The import licences should be issued for an aggregate amount not exceeding yen 1.5 billion (CIF) in favour of the Steel Authority of India Limited, and should bear the superscription "Yen 1.5 billion Japanese Grant Aid for 1979-80". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN".

I(iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges to the Bank of India, Tokyo which may be remitted through normal banking channels, payment towards Indian Agent's Commission, if any, should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I(iv) The steel items should be procured only from Japan under this Grant Aid.

I(v) The import licences will be issued on CIF basis with an initial validity upto 15-3-1980. In case the licensee needs further extension, the licensee should submit to the CCI&E a proposal seeking an extension in the validity period of the Import Licence alongwith full justification and explanation as to why the shipment and payments could not be completed within the initial validity period. Such requests should invariably be referred by the CCI&E to the Under Secretary (T.C.) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi for consideration.

I(vi) The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo. It should also provide for the period of delivery as follows :—

"delivery to be completed by 15-3-1980".

I(vii) The contract value (CIF basis only) should be expressed in Yen (fraction of yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's Commission, if any. In no circumstances the contract value should be expressed in any other currency. The FOB cost, freight & insurance amount should be shown separately but it should be clarified in the contract itself whether the freight will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated therein would be the amount payable irrespective of the actual charges.

I(viii) The purchase contract should be entered into only with the Japanese nationals or Japanese juridical persons controlled by Japanese nationals. A certificate (in duplicate) showing the eligibility of the supplier should be added to each contract.

Section II.—The following provision should be specifically incorporated in the supply contract :—

II(i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 5th November, 1979, between the Government of India and Japan concerning the Grant Aid of Yen 1.5 billion for 1979-80 and will be subject to the approval of both the Governments.

II(ii) Payments to the suppliers shall be made through an 'Authorisation to pay' (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1979-80.

II(iii) The Japanese suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

II(iv) The Japanese supplier agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least four weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require it this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section III.—Contract Approval by Governments of India and Japan :—

III(i) As soon as the orders are finalised, the importer should forward to the Under Secretary (T.A.), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 4 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the Japanese supplier supported by order confirmation in writing by the Japanese supplier or their photo copies complete in all respects together with two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annex I. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

III(ii) The Ministry of Finance (DEA) T.C.M. Section will arrange to send two copies of the contract to the Government of Japan for their approval for financing under the Japanese Grant Aid for 1979-80 of Yen 1.5 billion, and one set of the documents mentioned in (i) above will also be sent to the CAA&A simultaneously.

III(iii) On receipt of the contract approval from the Government of Japan, the T. C. M. Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block will inform the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-110001 of the same who will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form at Annexure II for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and T. C. M. Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

III(iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the Japanese supplier under intimation to the Government of Japan, Embassy of India, Tokyo, the importers' Bank in India and the CAA&A.

III(v) The Japanese supplier shall, after effecting shipment present through his bankers the documents specified in the A/P to the BOI, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Japanese supplier through his bankers.

III(vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for arranging the payment to the Japanese supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the BOI, Tokyo through normal banking channal without affecting the Government of India's account.

Section IV—Responsibility for rupee deposit :—

IV(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (O) in Annexure I who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the Japanese supplier alongwith interest charges thereon calculated at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at 15 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese Supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 46-ITC (PN)/76 dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese suppliers and also the day on which rupee deposits is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 as modified under public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen Payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC (PN)/76 lated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. *It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the importers.* The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Govt. account before taking delivery of the documents from their bankers. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-Deposits and Advances-843-Civil Deposits—Deposits for purchases etc., abroad-purchase under Grant Aid from the Government of Japan" for 1979-80, Grant for purchase of the steel items.

IV(ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi, or State Bank of India, Tis Hazari. Delhi, or if this is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (drawer) drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and Payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 184-ITC (PN)/68 dated 30-8-1968, No. 233-ITC (PN)/68 dated 24-10-1968 and No. 132-ITC (PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC (PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC (PN)/76 dated 12-10-1976.

IV(iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the Challan it should be ensured by the Importers/ their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC (PN)/71 dated 5-10-1971 and also in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 read with Public Notice No. 103-ITC (PN)/76 dated 12-10-76 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particular should invariably be furnished in the Treasury Challans :

(a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. & date

(b) Amount of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the Japanese supplier.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the Japanese supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note.—Importer's Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payment and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is informed immediately after.

IV(iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section V.—Miscellaneous provisions :—

V(i) Reports on the utilisation of the Grant Aid :

The importer should send a monthly report after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there-against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

V(ii) Notifying Suppliers of Special Conditions :

The importer should apprise the supplier of any special provisions in the import of steel items under this Grant Aid which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

V(iii) Disputes :

It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any, that may arise between the importer and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure I under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of diputes be included in the condition of contract.

V(iv) Future Instructions :

The importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or partaining to the imports and for meeting all obligations under the Grant Aid for 1979-80 from Japan.

V(v) Breach or violation :

Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

V(vi) List of Annexures :

Annexure I :—Request for issue of A/P
Annexure II :—Form of A/P.

ANNEXURE I

"REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION TO PAY"

No.

To

The Controller of Aid Accounts & Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street, New Delhi-110001.

Subject.—Import of steel items & services necessary for the transportation thereof to ports in India from Japan under the Japanese Grant Aid for 1979-80.

Sir,

In connection with the import of steel items from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A|P to the Bank of India, Tokyo in favour of the Japanese Supplier concerned :—

(a) Name and Address of the Indian importer.

(b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid.

(c) Method of procurement.—Whether it is based on direct purchase or limited open tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.

(d) Brief description of the goods.

(e) Origin of the goods.

(f) Gross CIF Value of contract (in Yen).

(g) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.

(h) Net CIF Value (in Yen) for which the A|P is required.

(i) Name and date of the contract with Japanese Suppliers.

(j) Name and Address of the Japanese Supplier and attach an eligibility certificate (in duplicate).

(k) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.

(l) Expected date of completion of deliveries.

(m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).

(n) Shipment instructions (indicate if transhipment/partshipment permitted or not permitted).

(o) Name and Address of the Importer's bank in India.

Yours faithfully,

ANNEXURE II

No. F.

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Economic Affairs)
New Delhi, the

To

The Bank of India
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject.—Import of steel items under Japanese Grant Aid of Yen 1.5 billion for 1979-80—Issue of Authorisation to pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated....................................entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen..................to M/s......................... as per details given in the Appendix.

2. Please advise the Supplier of the fact of receipt of this Authorisation to Pay (A/P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P will be made on the basis of shipping documents as indicated in the Appendix.

4. Banking charges including charges for handling documents, and charges of Overseas Suppliers, Bankers if any, payable to you by the importer, will be settled directly by the importer's bank.

5. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents etc. presented by the Japanese supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importer's bank.

6. No amendment to this A/P may be advised in the absence of a specific authority from this Ministry.

7. This A/P will remain valid upto..........................

Yours faithfully,

Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer——————————with reference to their letter No. —————— dated ——————.

2. Importer's Bankers ———————————— They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC (PN)/76 dated 17-1-76 or such other Public Notices as may be issued from time to time. Interest at the rate of 9 per cent per annum for the first thirty days and at the rate of 15 per cent per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalents are deposited into the Government account, is required to be deposited into the Government of India account in terms of Public Notices No. 46-ITC(PN)/76 dated 16-6-1976. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese Supplier and also the date on which rupee deposit is made into Government account. (Any change in this rate will be intimated if and when made). It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of a Demand Draft obtained by them from any Branch of the S.B.I or its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawee) drawn on and made payable to the S.B.I., Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 233-ITC-(PN)/68 dated 24-10-68,

No. 132-ITC-(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC (PN)/74 dated 31-5-1974 and 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is 'K-Deposits & Advances-843-CIVIL Deposits—Deposit for purchases etc. abroad Purchases under Grant Aid from Govt. of Japan for 1979-80 under detailed head' Yen 1 5 billion grant aid for purchase of steel items.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC (PN)/71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any should be settled directly between the Indian Bank and the Bank of India, Tokyo Branch.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary (TA) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980